Title: Introduction of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016.

HON. SPEAKER: Shri Nitin Gadkari.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Let him introduce the Bill. उसके बाद आप अपनी बात कहिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The Minister is introducing the Bill. पहले उनको बोलने दीजिए।

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Only the speech of Shri Nitin Gadkari will go on record.

…(Interruptions)… *

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF SHIPPING (SHRI NITIN GADKARI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988. ...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988."

...(Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am on a point of order.

What I am saying is this. There is a rule in this House that before a Bill is to be introduced in the House, it ought to be circulated among the Members at least two days before the introduction. This is a very important Bill to amend the Motor Vehicles Amendment Act in which many new fines, etc. would be imposed. I have to oppose the introduction of the Bill but before seeing the Bill, how will I oppose the introduction. We would like to bring amendments to the Bill. As it is today, no papers have come from Parliament. Till yesterday, this Bill has not been circulated. Today also, it has not been laid on the Table. In these circumstances, don't let the Minister to introduce the Bill today. Let the Bill be circulated today. With your permission, tomorrow, he can introduce the Bill and take up motion for consideration. This scrappy work of the Ministry should not be condoned by Parliament.

Otherwise we will be setting a bad precedent, taking away the normal rights of Members to raise objections. I do not know whose fault it is, whether it is the Minister's fault or whether it happened from the side of the Secretariat. But this is a matter which should be looked into before you allow him to introduce the Bill. Let the Members not be deprived of their normal rights. ...(Interruptions)

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Madam Speaker, we also oppose the introduction of this Bill. ...(Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, a detailed discussion has to be done. Nearly 79 clauses are there. We are very enthusiastic to support all the proposals of the Minister because he is taking some interest to improve road safety. So we do not want to block his move. But we should go according to the rules. The rules are very important and discussion is also important. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आपकी तरफ से एक माननीय सदस्य ने बोला है, हां, आपको क्या कहना है?

...(Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam Speaker, it is not so in my case, to be honest. This morning, while I was leaving my house I got this packet. It is a voluminous Bill and we require to apply our mind as we are all stakeholders. … (*Interruptions*) आप ऐसे कुछ मोडिफिकेशंस मत करो, तािक शुरू में दी एक्सीडेंट्स दो। आप एक्सीडेंट्स रोकना चाढ रहे दो। इसिए जो इमारे रूट्स में हैं, जैसा प्रो.सौगत राय जी ने बताया हैं, मैंडम, आप इसे कन्डोन मत करो। यह सिर्फ आप ही कर सकते हो तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि रूट्स के प्रावधान के मुताबिक ही गाड़ी चले, तभी कानून भी ऐसे ही चलेगा।

HON. SPEAKER: Copies of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 have already been circulated today morning.

...(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): We have not got it. ...(Interruptions)

SEVERAL HON. MEMBERS: We have not got it. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: He has received it.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: See your papers.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: It has already been circulated.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: He is only introducing the Bill.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: I have also acceded to the Minister's request for waiver of Directions 19 (a) and 19 (b). I have given the waiver. He is only introducing. After that, you have to decide whether to discuss or not.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: He is only introducing it now. That is all.

...(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE: Our right to raise objections is stripped off. ... (Interruptions)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) : मैंडम, मैं आपकी मार्फत सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान) आपको इसे लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, मुझे कोई आपति नहीं हैं। ...(व्यवधान)

श्री कट्याण बनर्जी : आप इस बिल को इंट्रोडयूस मत कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : आप मेरी बात तो सून लीजिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Kalyanji, please listen to him.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not the way.

श्री नितिन गडकरी: भैंडम, इस बिल को सबको सर्कुलेट किया गया हैं। इसमें एक ही अड़वन हैं, जिसके लिए मैं आपकी मार्फत सभागृह को पूर्थना करूंगा, अगर नहीं मानेंगे तो मुझे आगृह नहीं करना हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा कि यह बिल एक साल से पैंडिंग हैं। इस बिल का संबंध इस बात से हैं कि देश में डेढ़ लाख एवसीडेन्ट्स हो रहे हैं और पूरी तरह से क्योस हुआ हैं। इसके लिए सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, जिसमें वैस्ट बंगाल से लेकर केरल तक 18 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के साथ कमेटी बनाकर उन्होंने फाइनल ड्राप्ट तैयार किया हैं। हमने पुराना बिल विद्राह्म किया है और उन्होंने यह अपधात और एवसीडेंट्स रोकने के लिए जो सुझाव दिये हैं, उन्हें हम लाये हैं। एक साल से हम कुछ नहीं कर पाये, न ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार कर पाये और न नियमों में सुधार कर पाये, क्योंकि इस पर सहमति नहीं बनी। आज अगर में यह बिल पेश नहीं करूंगा तो अगले सैशन तक मैं कुछ नहीं कर पाउंगा। आप टी.वी. खोलने के बाद देखेंगे कि रोज एक्सीडेंट्स में दो सी, तीन सी लोग मर रहे हैंं। ...(व्यवधान) मेरा इसमें कोई आगृह नहीं हैं, कोई पोलिटीकल सब्जैवट नहीं हैं। मुझे इतनी ही चिंता है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार हो। आज अगर आपने यह नहीं होने दिया तो फिर राज्य सभा में जाकर यह इस सैशन में पास नहीं हो पायेगा। आलोरडी सभी पोलिटिकल पार्टीज के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के द्वारा दिये गये सुझाव मैं आपको इस बिल की मार्फत दे रहा हुं।

बिल के ऊपर आप जो भी सुझाव देंगे, उसके लिए मैं ओपन माइंड से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और इसके बाद भी आपकी सबकी सहमति इस अधिवेशन में नहीं होगी तो यह भेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं हैं, आप सबकी हैं। आप जो कहेंगे, वैसा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इसमें लोगों की जान बचाने की जो बात हैं, उस बात को देख कर आप विचार कीजिए। बाकी आपको जो सोचना हैं, वह कीजिए। ...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: The hon. Minister has said that unless it is passed here, it cannot be taken up in the Rajya Sabha within this week. Now, today, the discussion is not going to take place. Even if it is taken up early, it would be taken up only tomorrow.

The Bill has not been introduced yet. So, Mr. Minister, you may introduce the Bill tomorrow; let us have the discussion tomorrow itself; and then send it to the Rajya Sabha.

Today, if you introduce the Bill, you cannot send it to the Rajya Sabha...(Interruptions)

There may be 18 State Ministers, who might have attended the meeting with you. But we have also a right to speak. Kindly do not take away our right...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : स्वङ्गे जी, आप बोलिए। इंट्रोडयुज़ भी नहीं करना हो तो बताइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हैं।

…(व्यवधान)

- भ्री मिल्तकार्जुन खड़में: महोदया, यह एक महत्वपूर्ण बिल होने की वजह से सभी सदस्य यह चाहते हैं कि इसको स्थायी समिति में भेज देना चाहिए, ताकि इस पर डीटेल्ड डिस्कशन हो जाए और इसमें कोई भी ऑब्जेवशन न रहे_। स्थायी समिति की जो रिपोर्ट आएमी सर्वसम्मति से एज़ इट इज़ उसको पास कर देंमे_। मंत्री जी, आपके पीछे पूरा सदन खड़ा हुआ है, आप क्यों घबरा रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है_। ...(व्यवधान)
- श्री **नितन गडकरी :** खड़मे साहब, मैं घबरा नहीं रहा हुँ, यही मैं आपको समझा रहा हुँ_। ...(व्यवधान)
- श्री **मल्लिकार्जुन खड़मे :** एक महीने में कुछ होने वाला नहीं हैं_। ...(व्यवधान)
- **भ्री नितन गडकरी :** खड़ने साहब, आप एक नहीं तीन महीने लगाएं, मैं आपके साथ हुँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हैं_। ...(व्यवधान)
- श्री **मिलकार्जुन खड़ने :** मैंडम, आप एक टाइम लिमिट तय दीजिए कि इतने दिन में कमेटी रिर्पोट दे तो फिर एक महीने में करना है तो एक महीने में खटम कीजिए_। ...(व्यवधान)
- श्री नितन गडकरी: महोदया, यह सभा सार्वभौम हैं। मंत्री होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी हैं। मैं आप सबके साथ बिल्कुल कटिबद्ध हूँ। एक साल से यह जो पुराना बिल था, वह ड्रॉप हुआ, फिर केवल इसमें सुरक्षा की हैं। एत्रिस से तुरक्षा की हैं। जिसमें 18 राज्यों के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर ने, जिसमें सभी पार्टियों के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर शामिल थे, उन्होंने सर्वसम्मति से पुराने बिल में रास्ते की सुरक्षा के लिए जो सुझाव दिए हैं, वही आए हैं, नया बिल तो बाजू में रखा हैं। दूसरी बात में आपको नमुतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि बिल ज्वाइंट सिलेक्शन

कमेटी के लिए पास भेजना है तो कोई अड़चन नहीं है क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं हैं। परंतु इसके कारण, इम्प्तिमंट न करने के कारण रोज़ एविसडेंट की संख्या इतनी बढ़ती जा रही हैं, कि हम लोग उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ...(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लीजिए न ...(व्यवधान) उसके ऊपर आपको अगर नहीं करना है, ...(व्यवधान) अगर आपको ज्वाइंट सिलेवशन कमेटी के पास भेजना है ...(व्यवधान) मंजूर नहीं करना है तो आपका अधिकार हैं। ...(व्यवधान) लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान) में भावनात्मक टÂिष्ट से आपको बता रहा हूँ। आप अगर नहीं करना चाहेंगे तो ज्वाइंट सलेवशन कमेटी को भेजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं हैं। ...(व्यवधान) सड़ने साहब मुझे कोई जल्दी नहीं हैं। ...(व्यवधान) में आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि केवल सुधार जो हैं, वे 18 राज्यों के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर्स ने बताएं हैं, सिर्फ उतना ही हैं। उसके बाद भी अगर आप जो भी सुझाव देंगे, में उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इसमें समय ज्वादा जाने से और जानें जा सकती हैं, आप इसके ऊपर सोविए, आप जो कहेंगे, वह मैं करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इंट्रोडयूज़ तो करने दो_।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, यह तो केवल इंट्रोडव्सन हैं। इंट्रोडव्सन के बाद ही आप सोचेंगे, अमेंडमेंट्स देंगे। डिस्क्सन करना है कि नहीं करना है, यह बीएसी में तय कीजिए। अभी कोई डिस्क्सन भी तो नहीं ले रहे हैं। He is only introducing. इंट्रोडव्सन पर आप क्यों आपित कर रहे हैं? बाद में निर्णय करो न कि कमेटी में भेजना है या नहीं। I am not asking you. It is only introduction.

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988."

The motion was adopted.

SHRI NITIN GADKARI: Madam, I introduce the Bill.

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको एक साथ तो बोतने का मौका नहीं दे सकती हुँ_। एक के बाद सबको बोतने का अवसर ढ़ंगी_।

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: I will allow it.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मुझे पता है कि आज आदिवासी दिवस हैं_। दो-तीन लोगों ने इसके लिए नोटिस दिया हैं_। मैं पहले उनको ही बोलने का अवसर दे रही हूँ_।

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: I am not saying 'no'.

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मैं आज उन सभी लोगों को पहले मौका दे रही हूँ।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आज आदिवासी दिवस हैं, आप सब बोलना चाहेंगे_। मैं सभी के नाम बुलाऊँगी_। आपको भी बोलने का मौका दूँगी_।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत_।

…(<u>व्यवधाल</u>)